UPGK010053742026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2364/2026

विजय चौहान पुत्र विक्रम चौहान, निवासी ग्राम- हरिजनपुर, थाना- सिकरीगंज, जिला- गोरखपुर। .....**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**विपक्षी**

मु०अ०सं०- 35/2026

अंतर्गत धारा- 131, 115(2), 190, 191(2), 103(1) B.N.S.

थाना- सिकरीगंज, जनपद-गोरखपुर।

दिनांक- 25.06.2026

आवेदक/अभियुक्त द्वारा यह जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०- 35/2026, अंतर्गत धारा- 131, 115(2), 190, 191(2), 103(1) B.N.S., थाना- सिकरीगंज, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र से समर्थित है।

जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा उसका कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी का भाई मुनीब चौहान ग्राम कनैला से हरिजनपुर शादी में गया था। बारात में डी०जे० बजने के दौरान साईड में डी०जे० देख रहे वादिनी के भाई को सतेन्द्र, निक्कू, पाविद आदि ने लाठी व पंच से आक्रमण करके बुरी तरह घायल कर दिया, यह जानने के बाद कि अब वादिनी का भाई बचने वाला नहीं है उसे छोड़कर भाग गये।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है जिसके द्वारा वादिनी मुकदमा के भाई मुनीब चौहान के पास कत्तई किसी तरह का का कोई घटना कारित नहीं की गई है। प्रार्थी को वादिनी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं किया गया है। वादिनी मुकदमा मौजा कनैला, थाना-धनघटा, जनपद-संत कबीर नगर की रहने वाली है जो अपनी आंखों से कोई घटना नहीं देखी है। मौजा कनैला से बारात ग्राम हरिजनपुर अंतर्गत थाना सिकरीगंज, जनपद-गोरखपुर में आई थी और उस बारात में वादिनी मुकदमा के भाई मुनीब चौहान ग्राम चिरैयाटांड़, थाना सहजनवां, गोरखपुर को चिरैयाडांड़ के ही आकाश जो मुनीब के सहपाठी थे वही लेकर बारात गए थे। मुनीब चौहान की जब नौकरी लग गई तभी से आकाश अंदर अंदर दुखी रहने लगा और उसी के द्वारा पूरी घटना को रूप दिया गया है। घटना में प्रार्थी दूर दूर तक शरीक नहीं था बल्कि साजिश के साथ प्रार्थी को घटना में नामित किया गया है। मौजा कनैला से जो बारात आई थी उनके द्वारा भी डी०जे० लाया गया था तथा मौजा हरिजनपुर के

लड़की वालों ने भी आर्केस्ट्रा मंगाया था और राधा कृष्ण का प्रोग्राम चल रहा था। उसी में मौजा कनैला व मृतक के साथी आकाश अपने हिसाब से आर्केस्ट्रा पर डी०जे० वालों को नियंत्रित कर रहा था जिस पर कुछ लोग आपस में धक्का मुक्की आकाश के इशारे पर करने लगे जिस पर आकाश अपने लक्ष्य को पाने की गरज से अपने साथियों द्वारा वादिनी के भाई मुनीब चौहान के साथ वारदात कर दिया। प्रार्थी का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है बल्कि मजदूर पेशा व्यक्ति है जिसके द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई है। स्थानीय थाने के पुलिस निर्दोष प्रार्थी को पहले थाने लाई और प्रार्थी से बिना असलियत जाने प्रार्थी को भी सरसरी तौर पर चालान कर दिया। उपरोक्त के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के भाई की निर्मम हत्या की गयी है। अभियुक्त द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। अतः आवेदक/ अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

जमानत प्रार्थना-पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं समस्त सुसंगत प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध मुख्य रूप से सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में वादिनी मुकदमा के भाई मुनीब चौहान की हत्या करने का अभियोग है। केस डायरी में अंकित चश्मदीद साक्षी/चोटहिल आकाश चौहान के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के भाई को लाठी, बांस के भण्डे, पंच इत्यादि से बुरी तरह मारा पीटा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाना कहा गया है। प्रस्तुत मामला हत्या जैसा गंभीर अपराध से संबंधित है। प्रकरण में सहअभियुक्तगण की जमानत पूर्व में निरस्त की जा चुकी है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिकथित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त विजय चौहान द्वारा मु०अ०सं०- 35/2026, अंतर्गत धारा- 131, 115(2), 190, 191(2), 103(1) B.N.S., थाना- सिकरीगंज, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

<u>दिनांक-25.06.2026</u>

(उमेश चन्द्र पाण्डेय-II)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01,
गोरखपुर।
JO Code - UP 6066

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01,
गोरखपुर।

Digitally signed by UMESH CHANDRA PANDEY
Date: 2026.06.25 16:40:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court